राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 449/2010/अजमेर

मैसर्स भगवती केरियर्स,दिल्ली .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ,प्रतिकरापवचंन,
वार्ड द्वितीय, अजमेर । .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.बी.अग्रवाल
अधिकृत प्रतिनिधि ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप–राजकीय अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :24.06.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त(अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 159/आरएसटी/02–03/एनआरडी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 01.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

प्रकरण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन, वार्ड–द्वितीय,अजमेर द्वारा दिनांक 21.11.2002 को नसीराबाद चौराहा अजमेर बाईपास पर वाहन संख्याएच आर 38ए–8212 को जांच हेतु रोकने पर चालक श्री बलदेव सिंह ने वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में मैसर्स भगवती कैरियर्स,दिल्ली के चालान संख्या 70 व 71 तथा इसमें दर्ज बिल्टियॉ मय बिलों के प्रस्तुत की। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर प्रस्तुत दस्तावेजों मिथ्या एवं बोगस प्रतीत हुए । अतः कर निर्धारण अधिकारी ने प्रेषक एवं प्रेषिति के सत्यापन हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 78(2)(4) एवं (5)के अन्तर्गत दिनांक 28.11.2002 का स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया। दिनांक 22.11.2002 को अतिरिक्त आयुक्त, प्रतिकरापवचंन,राजस्थान जयपुर को भेजकर वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के प्रेषक फर्मो के एल.सी. नम्बर के सत्यापन हेतु निवेदन किया गया। उक्त पत्र उपायुक्त(प्रशासन)वाणिज्यिक कर, अजमेर के माध्यम से भेजा गया, किन्तु अतिरिक्त

आयुक्त,प्रतिकरापवंचन जयपुर के यहां से सूचना प्राप्त हुई कि वायरस आने के कारण प्रेषक फर्मो का सत्यापन नही होगा। दिनांक 24.11.2002 को वाहन चालक द्वारा टेलीफोनिक सूचना देकर निवेदन किया गया कि वह केस का निपटारा आज ही करवाना चाहता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाद का निपटारा कर वक्त जांच प्रस्तुत किये गये चालान नम्बर 70 व 71 के साथ संलग्न बिल्स के अनुसार माल का सत्यापन करने की कार्यवाही की जाती, उसके पहले ही वाहन चालक ने प्रेषक व प्रेषिति का सत्यापन नहीं करा सकने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र विचार करने के पश्चात वक्त चेकिंग पाये गये कर योग्य रू.104655/– पर 4 प्रतिशत से, 60,750/– पर 8 एवं रू. 2,44,875/– पर 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया गया। वाहन चालक ने उक्त नोटिस के जवाब में प्रार्थना पत्र देकर अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति होने का निवेदन किया तथा केस कम्पाउण्ड कर केस का निपटारा आज की करने का निवेदन किया। कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन चालक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए केस कम्पाउण्ड करके रू. 1,39,875/–की मांग सृजित करते हुए आदेश दिनांक 24.11.2010 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 24.11.2010से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी ने वाहन अधिनियम की धारा 72(3) के अन्तर्गत कम्पाउण्ड होने से अपील सारहीन मानते हुए निरस्त कर दी। अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2010 से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण को अपील योग्य नहीं होना अवधारित कर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने में विधिक भूल की है । उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने बाध्यकारी न्यायिक दृष्टान्तों ने पर विचार किये बिना अपील अस्वीकार की है जबकि बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी के समक्ष पर्याप्त सामग्री,आधार उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि अपने कथन के समर्थन में अग्रिम अभिवाक् किया कि माल संबंधी दस्तावेज माल के परिवहन के दौरान मौजूद थे परन्तु प्रेषक एवं प्रेषिति के सत्यापन का भय दिखाकर प्रत्यर्थी ने दबाव डालकर प्रकरण में शमन आवेदन पत्र प्राप्त किया है जो किसी भी रूप में विधिक एवम् उचित नहीं है । । अतः ऐसी स्थिति में अग्रिम अभिवाक् किया कि दबाव डालकर प्राप्त किये गये शमन आवेदन पत्र के आलोक में इसे प्रसंज्ञान नहीं दिया जाये । अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

विद्वान उप–राजकीय अधिवकत्ता ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 72(6) में प्रावधान स्पष्ट प्रतिबंध के चलते शमन आदेश के विरूद्ध अपील सुनवायी योग्य नहीं रहती । माननीय कर बोर्ड का यही मत रहा है । अपने कथन के समर्थनमें 2 टैक्स अपडेट 74, 9 टैक्स अपडेट 9 पर छपे न्यायिक दृष्टांतों को उद्धरित कर प्रार्थना की है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है । तद्नुसार प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की पेशकश की है ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवंरिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । इस संबंधमें रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में शमन करने हेतु आवेदन पत्र प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत किया है जो प्रत्यर्थी की रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ 09 पर उपलब्ध है । जहां तक इस संबंध में दबाव डालकर इसे प्राप्त करने का प्रश्न है, अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक इस तथ्य को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं । अपील पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले अधिनियम की धारा 72(6) को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

"72(6)-Notwithstanding anything contained in section 84, no appeal shall lie or subsist against an order of composition made this Act."

अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुसार शमन आदेश अधिनियम की धारा 72(6) के तहत् अपील योग्य नहीं है, अतः उनके द्वारा बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है एवम् इस संबंध में उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कर बोर्ड के उद्धरित न्यायिक दृष्टांत मै0 जॉनसन एण्ड जॉनसन लि. जयपुर बनाम स.वा.क.अ.,प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर, 2 टैक्स अपडेट 74, मै0 पन्नेचन्द रामगोपाल, श्रीडूंगरगढ़ बनाम् सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, चूरू व 9 टैक्स अपडेट 9 प्रकरण में पूर्णतः लागू किये जाने योग्य हैं । उक्त अपील शमन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुयी है, जो अधिनियम की धारा 72(6) के प्रावधानों के आलोक में सुनवायी योग्य नहीं है । अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य